न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-टि.ए. 23/2017
पंजीयन दिनांक 20.06.2017

(1). गुड्डी बेवा मोहन जाति मीणा निवासी बल्दरखा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(2). नंदु पुत्री मोहन जाति मीणा नाबालिग बविलायत माता गुड्डी बेवा मोहन जाति मीणा निवासी बल्दरखा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(3). माया पुत्री मोहन जाति मीणा नाबालिग बविलायत माता गुड्डी बेवा मोहन जाति मीणा निवासी बल्दरखा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(4). संजु पुत्री मोहन जाति मीणा नाबालिग बविलायत माता गुड्डी बेवा मोहन जाति मीणा निवासी बल्दरखा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(5). शांति पुत्री मोहन जाति मीणा नाबालिग बविलायत माता गुड्डी बेवा मोहन जाति मीणा निवासी बल्दरखा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांट्गण

बनाम

(1). नानी पुत्री धन्ना पत्नी श्यामलाल जाति मीणा निवासी बल्दरखा हाल रेल्वे माल गोदाम के पीछे, मीणा मोहल्ला चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(2). काली पुत्री धन्ना जाति मीणा निवासी बल्दरखा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(3). राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 415/2016 प्रार्थना-पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.06.2017

उपस्थित वक्त बहस-(1).किशनलाल कुमावत-अधिवक्ता अपीलांट्गण
(2).संजय मौड-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3).रेस्पोडेन्ट संख्या 2-अनुपस्थित
(4).पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 3

निर्णय **दिनांक 12.10.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण अपीलांट्गण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

6 की धारा 212 के अन्तर्गत विपक्षीगण रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण अपीलांटगण व विपक्षीगण रेस्पोडेन्टगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मौजा बल्दरखा तहसील चित्तौड़गढ़ की खाता संख्या 38 मे दर्ज आराजी संख्या 189, 190, 241, 243, 249, 249/1787, 250, 251, 252, 253, 256, 257 कुल किता 12 कुल रकबा 2.34 हैक्टेयर स्थित है जिसमे रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण संख्या 1 से 3 का 3/8 हक हिस्सा, अपीलांटगण प्रार्थीगण का 1/8 हक हिस्सा व किशनलाल पिता परथा का शेष 1/2 हक हिस्सा निहित है। साथ ही खाता सख्या 37 मे दर्ज आराजी संख्या 35 रकबा 1.71 हैक्टेयर मे रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण संख्या 1 से 3 का 3/4 हक हिस्सा व अपीलांटगण प्रार्थीगण का 1/4 हक हिस्सा निहित है तथा खाता सख्या 74 मे दर्ज आराजी संख्या 258, 259 कुल किता 2 कुल रकबा 2.24 हैक्टेयर मे अपीलांटगण प्रार्थीगण एवं रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण संख्या 1 से 3 का संयुक्त रूप से 6/13 हक हिस्सा व शेष हक व हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात प्रार्थीगण अपीलांटगण व विपक्षीगण संख्या 1 से 3 रेस्पोडेन्टगण की पैतृक सम्पत्ति होकर संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात प्रार्थीगण अपीलांटगण के दादा धन्ना के स्वर्गवास के पश्चात विवादित कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता व पति एवं विपक्षीगण संख्या 1 से 3 रेस्पोडेन्टगण के नाम खातेदारी मे विरासत से दर्ज हुई। विपक्षी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट के नाम 1/4 हिस्सा गलत रूप से दर्ज हो जाने से उसने दिनांक 22.09.2016 को अवैध एवं अनाधिकृत रूप से उक्त 1/4 हक हिस्से का हक परित्याग विपक्षी संख्या 2 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष मे कर दिया। उक्त हक परित्याग अवैध व शून्य है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात धन्ना के खातेदारी की थी। धन्ना के देहान्त के बाद उसके पुत्र मोहन, पुत्री काली, नानी एवं बेवा मूली को विरासत से प्राप्त हुई। मोहन फोत हो चुका है। विवादित कृषि आराजीयात मे मोहन के वारिसों का 1/20 वां हक हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज है। विपक्षी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट ने अपना 1/4 हक हिस्सा विपक्षी सख्या 2 के पक्ष मे हक परित्याग कर दिया। विपक्षी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट को अपना हक व हिस्सा हक परित्याग करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि आराजीयात पैतृक कृषि आराजीयात है। एवं प्रार्थीगण अपीलांटगण व विपक्षीगण संख्या 1 से 3 रेस्पोडेन्टगण एक ही परिवार के सदस्य है जिससे पैतृक सम्पत्ति से प्राप्त हक व हिस्सा किसी एक व्यक्ति के पक्ष मे हक परित्याग नही किया जा सकता है बल्कि सभी सहखातेदार के पक्ष मे हक परित्याग होता है। विपक्षी संख्या 1 रेस्पोडेन्ट ने हक परित्याग करके अपनी पैतृक कृषि आराजीयात का सम्पूर्ण अधिकार समाप्त कर दिया है और यह पैतृक कृषि आराजीयात है जबकि पैतृक कृषि आराजीयात का हस्तांतरण पूरी कीमत लेने के बाद भी कोई खातेदार बगैर किसी कानूनी आवश्यकता के नहीं कर सकता है और न ही पैतृक कृषि आराजीयात को भेंट पत्र के जरिये हस्तांतरित कर सकता है। इस प्रकार पैतृक कृषि आराजीयात के संबंध मे किया गया किसी भी प्रकार का हस्तांतरण कानूनी रूप से शुन्य है । विपक्षी संख्या 1 मूली बहुत ज्यादा वृद्ध है। अपना भला-बुरा भी नहीं समझती है। जिस समय उप पंजीयक के समक्ष विपक्षी संख्या 1 उपस्थित हुई तब उप पंजीयक द्वारा उक्त रिलीज डीड को

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

विपक्षी संख्या 1 को नही सुनाया गया। जबकि विपक्षी संख्या 1 मूली बाई अनपढ़, नासमझ व अत्यंत वृद्ध होने के कारण उप पंजियक द्वारा हक परित्याग पत्र को पढ़कर विपक्षी संख्या 1 को सुनाया जाना आवश्यक था। तत्पश्चात यदि विपक्षी संख्या 1 उक्त दस्तावेज का अर्थ ठीक से समझ लेती और उप पंजीयक के समक्ष उक्त दस्तावेज मे वर्णित तथ्यों को स्वीकार करती तब ही उप पंजीयक को उक्त दस्तावेज को पंजीकृत करने का अधिकार पैदा होता। किन्तु उक्त दस्तावेज मे ऐसा कही भी अंकित नहीं है कि उक्त दस्तावेज को विपक्षी संख्या 1 को पढ़कर सुनाया गया हो और विपक्षी संख्या 1 ने इसे सही होना माना हो या समझकर स्वीकार किया हो। जिससे उक्त दस्तावेज कानूनी रूप से पंजीकृत नहीं है। साथ ही उक्त दस्तावेज का निष्पादन भी नहीं हुआ है। केवल हस्ताक्षर करने मात्र से निष्पादन नहीं होता है। साथ ही उक्त दस्तावेज मे सह खातेदारान की सहमति भी नहीं है। विपक्षीगण रेस्पोडेन्टगण उक्त हक परित्याग पत्र के आधार पर प्रार्थीगण अपीलांटगण को उनकी आराजीयात से बेदखल कर राजस्व रेकॉर्ड मे परिवर्तन कराने पर आमादा हो रहे है तथा उक्त आराजीयात को रहन, बह, बक्षीस करने की धमकियां दे रहे है इसलिए विपक्षीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 3 को मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि विपक्षीगण रेस्पोडेन्टगण उक्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन, बह, बक्षीस कर राजस्व रेकॉर्ड मे परिवर्तन न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण अपीलांटगण की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण अपीलांटगण के पक्ष मे होना मानते हुए उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के मौके व राजस्व रेकॉर्ड की यथावत स्थिति कायम रखे जाने हेतु विपक्षीगण रेस्पोडेन्टगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का एकपक्षीय आदेश पारित किया जाकर विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्रावली मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.11.2016 नियत की। दिनांक 13.06.2017 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट आंवलहेड़ा मे रखी गई। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण अपीलांटगण के पक्ष मे नहीं होना बताकर व प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होना बताकर अपीलांटगण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व आदेश के विरूद्ध अपीलांटगण प्रार्थीगण ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

अपीलांटगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली पर बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट्गण प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्गण प्रार्थीगण की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबंदी मौजा बल्दरखा, नकल हक परित्याग विलेख जिसमे विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 के पक्ष मे पंजीकृत हक परित्याग विलेख दिनांक 22.09.2016 पंजीकृत करवाया है, विवादित कृषि आराजीयात को पैतृक कृषि आराजीयात होना मानते हुए वादपत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट्गण प्रार्थीगण को सुना जाकर दिनांक 07.10.2016 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जिसमे आगामी तारीख पेशी 15.11.2016 नियत की व उसके पश्चात उक्त पत्रावली को दिनांक 13.06.2017 को लोक अदालत मे नियत किया जाकर लोक अदालत मे बिना किसी लिखित राजीनामे के अपीलांट्गण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया गया । विवादित कृषि आराजीयात अपीलांट्गण प्रार्थीगण व रेस्पोडेन्ट्गण विपक्षीगण की पैतृक कृषि आराजीयात है जिसमे अपीलांट्गण प्रार्थीगण का भी हक व हिस्सा निहित है फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलांट्गण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आवश्यक बिन्दुओं का विश्लेषण किये बगैर निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नही होकर अपीलांट्गण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि मूली नानी के पास ही रही। मूली के मरणोपरान्त उसका कियाकर्म भी नानी ने ही किया है। खातेदार मूली ने नानी के पक्ष मे अपने हक व हिस्से का पंजीकृत हक परित्याग विलेख निष्पादित किया है जिससे पंजीकृत हक परित्याग विलेख को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बगैर अपीलांट्गण प्रार्थीगण को किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त करने का अधिकार नहीं रहता है। फिर भी अपीलांट्गण प्रार्थीगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त किया है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलांट्गण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने मे किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। अपीलांट्गण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने अपनी बहस मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व आदेश को विधि सम्मत होना बताते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

मैंने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी व पंजीकृत हक त्याग विलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष मे पंजीकृत हक त्याग विलेख निष्पादित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विवादित कृषि आराजीयात मे 1/4 हक व हिस्से की सहखातेदार है व सहखातेदार को अन्य सहखातेदार के पक्ष मे अपना हक व हिस्सा वैधानिक रूप से हक परित्याग करने का अधिकार प्राप्त है, उन्ही अधिकारों के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष मे हक परित्याग विलेख निष्पादित किया है। जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांटगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने मे किसी प्रकार की वैधानिक प्रकिया का उल्लंघन होना नही पाया जाता है। अपीलांटगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण प्रार्थीगण अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ प्रकरण संख्या 415/2016 मे पारित निर्णय व आदेश दिनांक 13.06.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)